न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या –80/2022
निर्णय दिनांक : 08/07/2022

उनवान

ओमप्रकाश शर्मा पुत्र छीतरमल शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण
निवासी प्लाट नम्बर आर एफ–53, रीको कॉलोनी, विधाणी तहसील सांगानेर
जिला जयपुर।
कमला पत्नी छीतरमल जाति बागडा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम विधाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
बजरंग लाल शर्मा पुत्र गोविन्द राम शर्मा जाति ब्राहम्ण
निवासी ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर
बालुराम पुत्र धन्नालाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
रामेश्वरलाल पुत्र कल्याण सहाय जाति बागडा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम विधाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
श्योजी पुत्र रामसहाय जाति हरियाणा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
सुजाता देवी पत्नी बालूराम जाति हरियाना ब्राहम्ण
निवासी ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
सूजा देवी पत्नी बालूराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
हेमराज पुत्र भैंरूराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण
2. गणपतलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

प्रति प्रमाणित
नकल शाखा
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)
सही लिपिक

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128
राज. भू–राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:27 IST
Reason: Self Attested

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5900 हैक्टेयर कुल किता 07 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी भू. अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है,

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27–06–2015 को श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील सांगानेर के आदेश कमांक/भू.अ./15/285 दिनांक 03–06–2015 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौसी काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आये दिन उक्त कृषि भूमि की सीमा पर विवाद करते है, प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की सीमा पर नाजायज रूप से सीमा विवाद उत्पन्न मौके पर अशांति फैलाते है, इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसमे वह अपनी आराजीयात के चारों तरफ तारबन्दी/पुख्ता बाउण्डरी आदि कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान के लिए पड़ौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो, मौके पर शांति कायम हो सकें, इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायाहित में आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5900 हैक्टेयर कुल किता 07 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी भू. अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या तीन को फरमाने जाने की कृपा करें।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची के साथ प्रमाणित प्रति हाल जमाबन्दी, प्रमाणित प्रति फर्द मौका सीमाज्ञान पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही हुआ, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 27.06.2015 को की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन किये जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5900 हैक्टेयर कुल किता 07 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी भू. अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट आदेश दिनांक 27.06.2015 के अनुसार पुख्ता सीमा.चिन्ह कायम करें। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 08/07/20221 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
उप–खण्ड अधिकारी
...–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

फोटो प्रति प्रमाणित
प्रभारी नकल शाखा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फोटो प्रति सही मिलान की
हस्ताक्षर लिपिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:27 IST
Reason: SelfAttested

26, 2022, 18:43